तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विमला देवी बनाम आजाद कुमार आदि
अपील संख्या :–39/2023

28-01-26 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 129 अपीलांट की खातेदारी भूमि रही है। उक्त खसरा नम्बर 129 तादादी 4.55 हैक्टयर पुराना खसरा नम्बर 63/2 से बने है तथा खसरा नम्बर 63/2 तादादी 4 बीघा (10177 वर्गमीटर) यानि लगभग 1 हैक्टेयर भूमि के सपरिवर्तन आदेश ईंट भट्टा उद्योग हेतु सम्पूर्ण राशि जमा करवाकर अपीलांट द्वारा दिनांक 19–12–1997 को सक्षम अधिकारी द्वारा सपरिवर्तन के आदेश प्राप्त किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16–03–2018 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किये है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 16–03–2018 में अंकित किया था कि नये खसरा नम्बर 129 के पुराने खसरा नम्बर 63/2 की भूमि अपीलांट विमला देवी पत्नी ओमप्रकाश के नाम दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर 129 का पुराना खसरा नम्बर 63/2 है जिस पर अपीलांट ने सपरिवर्तन आदेश दिनांक 19–12–1997 प्राप्त किया हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–03–2023 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20–08–2023 को तब हुई जब पटवारी हल्का द्वारा सूचना दी गई कि अपीलांट की ईंट भट्टे वाली भूमि एस.डी.ओ. साहब द्वारा खारिज कर दी गई है तब अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 04–09–2023 को नकल प्राप्त की गई। अपीलांट द्वारा उक्त जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने मियाद के संबंध में कथन किये कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–03–2023 को जारी किया गया है तथा अपीलांट ने अपील 11–09–2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा मियाद कंडोन करने का कोई संतोषजनक कारण प्रकट नही किया है। इसलिए अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को तय किया जाना है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–03–2023 को पारित किया गया तथा अपीलांट ने अपील दिनांक 11–09–2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। ऐसे में विधि का भी सिद्धान्त है कि जहां अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हो वहां प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दुरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 23–03–2018 को तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग होने पर अन्तर्गत धोरा 177 आरटीए के वाद दायर किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 16–03–2018 में अंकित किया गया है कि ग्राम चानी की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 129 रकबा 4.55 हैक्टर (पुराना खसरा नम्बर 63/2) वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार विमला पत्नी ओमप्रकाश जाति पालीवाल सा. चानी के नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19–12–1997 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि ग्राम चानी पंचायत समिति चानी तहसील कोलायत 63/2 रकबा 4 बीघा या 10117 वर्गमीटर भूमि का संपरिर्वतन प्रयोजन ईंट भट्टा है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ चुका था परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया है कि संपरिवर्तन आदेश खसरा नम्बर 129 के नही है।

इस स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अपीलाधीन आदेश पारित करने के समय प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि थी अथवा इसका संपरिवर्तन किया जा चुका था? इसके लिए यह बिन्दू तय करना होगा कि वर्तमान खसरा नम्बर 129 एवं पुराना खसरा नम्बर 63/2 एक ही भूमि है अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी की मौका रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 129 के कोष्ठक में पुराना खसरा नम्बर 63/2 अंकित है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 129 पुराने खसरा नम्बर 63/2 से ही बना है।

इस सूरत में यह साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19–12–1997 पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–03–2023 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेजी साक्ष्यों मिलान क्षेत्रफल व संपरिर्वतन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए इस तथ्य की जॉच करे कि वरवक्त आदेश संपरिर्वतन आदेश अस्तित्व में था अथवा नही? तद्नुसार उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।पत्रावली फ ैसल शुमार होकर बाद तामील तक्मील दखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर